

द्वितीय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष- मोहम्मद अजहर)

क्लेम प्रकरण क्र. 24/16

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 20/06/16

मीनू शर्मा पत्नी श्यामसुंदर शर्मा, आयु 28 साल
निवासी-ए 14 गोवर्धन कॉलोनी, गोले का मंदिर,
ग्वालियर मध्यप्रदेश।

..... आवेदिका

बनाम

1. आश मोहम्मद पुत्र सोहराव खान,
उम्र 35 साल, निवासी वार्ड नंबर-5,
नूरगंज कस्बा गोहद तहसील गोहद
जिला भिण्ड
चालक वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी.-08 एल-6878
2. महेन्द्रसिंह परिहार पुत्र गंगासिंह मिर्धा,
आयु 60 साल, निवासी ग्राम इकहरा,
थाना मालनपुर तहसील गोहद जिला
भिण्ड मध्यप्रदेश।
मालिक वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी.-08 एल-6878
3. यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी
लिमिटेड सेंटर पॉइंट, द्वितीय तल
फूलबाग ग्वालियर
..... बीमा कंपनी
..... अनावेदकगण

.....
आवेदक द्वारा श्री जगदीशसिंह राणा अधिवक्ता
अनावेदक क्रमांक-1 व 2 द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक-3 द्वारा श्री आर.के. बाजपेयी अधिवक्ता।
.....

//अधि-निर्णय//

(आज दिनांक 26.08.2017 को पारित)

1. यह क्लेम याचिका धारा-166 मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत दिनांक 13.12.15 को हरीराम की कुइया भिण्ड ग्वालियर रोड मालनपुर, गोहद में हुई मोटर वाहन दुर्घटना में आवेदिका मीनू शर्मा को आई चोटों से उत्पन्न स्थाई निशक्तता के फलस्वरूप अनावेदकगण से संयुक्त रूप से या प्रथक-प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति की राशि

1,60,000/-रुपए ब्याज सहित दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

2. क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.12.15 को आवेदिका अपने देवर भगवती शर्मा के साथ गोरमी से ग्वालियर जा रही थी साथ में दूसरी मोटरसाइकिल पर वेदप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी भारती शर्मा भी थी। शाम लगभग 04:30 बजे आवेदिका का देवर भगवती शर्मा व वेदप्रकाश शर्मा ने पानी पीने के लिए मोटरसाइकिल हरिराम की कुइया पर रोकी थी और आवेदिका सड़क के किनारे नीचे की ओर खड़ी हो गई तभी अनावेदक क्रमांक 01 ने बुलेरो कार (जीप) क्रमांक एम.पी.-08 एल-6878 को तेजी व लापरवाही से चलाकर अनावेदिका को टककर मार दी जिससे अनावेदिका को बाएं टखने और शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आईं। देवर व वेदप्रकाश शर्मा ने 108 एम्बूलेंस बुलाकर आवेदिका को रीलाइफ अस्पताल में इलाज के लिए ले गए जहां दिनांक 14.12.15 को डिस्चार्ज होने के पश्चात देवर भगवती शर्मा द्वारा थाना मालनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रकरण पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त दुर्घटना में आई चोटों से आवेदिका को स्थाई विकलांगता आ गई है। वह सिलाई कढ़ाई के कार्य से 10,000/-रुपए की आय अर्जित करती थी। दुर्घटना से वह अपना कार्य करने में अक्षम हो गई है। इलाज में भी काफी राशि खर्च हुई है। दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्रमांक 02 था तथा उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी के यहां समस्त दायित्वों के लिए बीमित था। उक्त आधारों पर क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने की प्रार्थना की गई है।
3. अनावेदक क्रमांक 01 व 02 की ओर से क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदिका के अभिवचनों का सामान्य एवं विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्युत्तर किया गया है और यह अभिवचन किया गया है कि आवेदिका सिलाई कढ़ाई का कोई कार्य नहीं करती थी। अनावेदकगण के वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है। उनके वाहन का नंबर झूठा लिखा कर गलत रिपोर्ट की गई है। आवेदिका को स्थाई विकलांगता नहीं आई है। कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी की ओर से क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदिका के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्युत्तर किया गया है और यह अभिवचन किया गया है कि उक्त वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई

है। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दो दिन विलंब से लिखाई गई है। यदि उक्त वाहन से दुर्घटना होना, अनावेदक क्रमांक 01 का चालक होना, अनावेदक क्रमांक 02 का वाहन स्वामी होना, आवेदिका को चोटें आना आदि प्रमाणित होता है तो यह आपत्ति की गई है कि दुर्घटना मोटरसाइकिल के चालक की लापरवाही एवं उपेक्षा से घटित हुई है। दुर्घटना दिनांक को उक्त बुलेटों जीप के चालक के पास वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस नहीं था। उक्त वाहन का उपयोग यात्री होने में किया गया है व बीमा संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। मोटरसाइकिल चालक व स्वामी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त आधारों पर क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

5. मेरे पूर्व विद्वान पदाधिकारी के द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए गए, जिनके निष्कर्ष साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके सामने लिखे जा रहे हैं:-

वादप्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या दिनांक 13.02.2015 को शाम 04:30 बजे हरिराम की कुईया मालनपुर पर अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा अनावेदक क्रमांक-2 की बुलेटो क्रमांक एम.पी.-08-एल-6878 को उपेक्षा पूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आवेदिका को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की ?	प्रमाणित ।
2. क्या, उक्त दुर्घटना के कारण आवेदिका को बाएं टखने एवं शरीर में जगह-जगह गंभीर उपहतियां कारित हुई, जिसके कारण आवेदिका के शरीर में स्थाई विकलांगता आई, यदि हां तो कितने प्रतिशत ?	स्थायी विकलांगता आना प्रमाणित नहीं परंतु साधारण चोट आना प्रमाणित ।
3. क्या आवेदिका उक्त दुर्घटना में उत्पन्न क्षति की पूर्ति किसी धनराशि से पाने की पात्र है। यदि हां तो किससे और कितनी राशि ?	आवेदिका अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति की राशि 26,233/-रुपए प्राप्त करने की अधिकारी है ।
4. क्या वाहन एम.पी.-08-एल.-6878 द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है ? यदि हां तो प्रभाव ?	अप्रमाणित ।
5. अन्य अनुतोष ?	क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई ।

सकारण निष्कर्ष:-

वाद प्रश्न क्रमांक-01 :-

6. मीनू शर्मा आ0सा0-01 ने यह बताया है कि दिनांक 13.12.15 को अपने देवर भगवती प्रसाद शर्मा के साथ गोरमी से ग्वालियर मोटरसाइकिल से जा रही थी।

मोटरसाइकिल को उसका देवर भगवती प्रसाद शर्मा चला रहा था, साथ में दूसरी मोटरसाइकिल पर वेदप्रकाश शर्मा और उसकी पत्नी भारती शर्मा भी थे। शाम 04:30 बजे देवर व वेदप्रकाश शर्मा ने पानी पीने के लिए हरीराम की कुइया मालनपुर पर अपनी अपनी मोटरसाइकिल रोकी थी और आवेदिका सड़क के किनारे नीचे की ओर खड़ी हो गई, तभी अनावेदक क्रमांक 01 बुलेरो कार (जीप) क्रमांक एम.पी.-08-एल-6878 को तेजी व लापरवारी से चलाकर लाया और आवेदिका को टक्कर मार दी, जिससे उसके बाएं टखने एवं शरीर में जगह-जगह गंभीर चोटें आईं। उसके देवर व वेदप्रकाश ने 108 एम्बुलेंस बुलवाकर रीलाइफ अस्पताल इलाज के लिए ले गए। दिनांक 14.12.15 को अस्पताल से छुट्टी मिली उसके बाद देवर ने थाना मालनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई।

7. भगवती प्रसाद शर्मा आ0सा0-02 ने भी मीनू शर्मा की उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि की है और स्वयं रिपोर्ट लिखाया जाना बताया है, मीनू शर्मा आ0सा0-01 से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर उसने यह बताया है कि वे लोग पानी पीने के लिए खड़े थे तब टक्कर मारी थी।
8. अनावेदकगण की ओर से प्रमुख आधार यह लिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लिखाई गई है और वास्तव में उक्त वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है तथा पुलिस से मिलकर क्लेम पाने के उद्देश्य से झूठा प्रकरण बनावाया गया है। यदि इस बिन्दु पर विचार करें तो यह पाते हैं कि भगवती आ0सा0-02 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-05 में पूछे जाने पर 108 एम्बुलेंस से भाभी अर्थात् मीनू शर्मा को सीधे अस्पताल ले जाना बताया है और यह बताया है कि उस समय थाने जाने का समय नहीं था। प्रतिपरीक्षण के पैरा-10 में यह बताया है कि पहले भाभी का इलाज जरूरी समझा था इसलिए घटना दिनांक को या अगले दिन रिपोर्ट नहीं की थी।
9. आवेदिका की ओर से प्र0पी0-01 लगायत प्र0पी0-09 के आपराधिक प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियां तथा इलाज के पर्चे आदि प्र0पी0-10 लगायत प्र0पी0-33 प्रस्तुत किए गए हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-02 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें यह तथ्य हैं कि मीनू शर्मा रोड़ के नीचे मोटरसाइकिल के पास खड़ी थी, तभी बुलेरो कार (जीप) क्रमांक एम.पी.-08-एल-6878 के चालक ने उक्त गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाकर रोड़ से नीचे खड़ी भाभी मीनू में टक्कर मार दी, जिससे मीनू के बाएं टखने एवं शरीर में जगह-जगह चोटें आईं। फिर 108 एम्बुलेंस से मीनू को इलाज के लिए रीलाइफ अस्पताल ग्वालियर ले गए। इससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा

उक्त वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मीनू को टक्कर मारी गई।

10. पुलिस ने भी अनुसंधान में प्रथम दृष्टि में अनावेदक क्रमांक 01 आश मोहम्मद को दोषी पाते हुए अभियोगपत्र प्रस्तुत किया है। इससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा उक्त वाहन बुलेरो को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-02 में यह तथ्य है कि 108 एम्बुलेंस से मीनू शर्मा को रीलाइफ अस्पताल ग्वालियर ले जाया गया। मेडीकल रिपोर्ट प्र०पी०-06 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि मीनू का मेडीकल दिनांक 13.12.15 को ही हो गया है और उसमें इस तथ्य का उल्लेख है कि उसी दिनांक को 04:30 बजे रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसे चोटें आईं और 05:45 बजे वह अस्पताल में पहुंचा दी गई थी। उसके बाएं टखने में चोट पाई गई है और अन्य चोटें भी हैं, जिससे कि इस तथ्य की पुष्टि होती है कि रोड एक्सीडेंट में ही उक्त चोटें आई हैं।

11. रीलाइफ अंतिम बिल प्र०पी०-10 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 13.12.15 को मीनू शर्मा को भर्ती किया गया है और दिनांक 14.12.15 को उसे डिस्चार्ज किया गया है, जिससे मीनू शर्मा आ०सा०-01 के प्रतिपरीक्षण के पैरा-05 के इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के दूसरे दिन रात को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। अतः ऐसी स्थिति में जहां कि किसी व्यक्ति को चोटें आई हैं और अस्पताल में भर्ती किया गया है, तब स्वाभाविक रूप से अन्य शहर में होने से, पहले वह इलाज कराएगा उसके बाद रिपोर्ट करेगा। अतः ऐसी स्थिति में दो दिन पश्चात् दिनांक 15.12.15 को दोपहर 01:10 बजे रिपोर्ट किए जाने का युक्तियुक्त कारण और स्पष्टीकरण है। यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लिखाए जाने से उसमें संदेह उत्पन्न हो गया है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रकट और प्रमाणित होता है कि दिनांक 13.02.15 को शाम 04:30 बजे के लगभग हरीराम की कुइया मालनपुर पर अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा अनावेदक क्रमांक 02 के स्वामित्व की बुलेरो कार (जीप) क्रमांक एम.पी.-08-एल-6878 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आवेदक को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की गई जिससे मीनू को चोटें आईं।

वादप्रश्न क्रमांक-02

12. यह वादप्रश्न मीनू शर्मा को स्थाई निशक्तता आने के संबंध में है मीनू शर्मा आ०सा०-01 ने मुख्यपरीक्षण में स्थाई विकलांगता आना बताया है। उसने यह बताया है कि

उसे पूरे शरीर में और बाएं पैर में चोट आई थी। उसे फ्रेक्चर नहीं आया था और स्थाई विकलांगता नहीं आई थी। प्र०पी०-07 की एक्सरे रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि मीनू शर्मा को कोई फ्रेक्चर कारित नहीं हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रकट होता है कि उक्त दुर्घटना में आवेदिका मीनू शर्मा को साधारण चोटें आई थीं और स्थाई निशक्ता कारित नहीं हुई थी।

वादप्रश्न क्रमांक-03

13. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 01 ने अनावेदक क्रमांक 02 के उक्त वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर उक्त दुर्घटना कारित की है तथा प्र०डी०-04 की बीमा पॉलिसी के अनुसार उक्त वाहन दिनांक 13.12.15 की स्थिति में बीमित था। तब ऐसी स्थिति में आवेदिका, अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने की अधिकारी है।
14. जहां तक कि मीनू की आय का प्रश्न है, उसने सिलाई, कढ़ाई से 10,000/-रुपए प्रतिमाह की आय होना बताया है। भगवती शर्मा आ०सा०-02 ने भी इतनी ही आय बताई है। परंतु मीनू शर्मा आ०सा०-01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-06 में व्यक्त किया है कि उसके पास सिलाई, कढ़ाई का डिप्लोमा नहीं है। पैरा-09 में व्यक्त किया है कि सिलाई के कार्य से आय के संबंध में उसने कोई लिखापट्टी नहीं की है। पैरा-06 में यह भी व्यक्त किया है कि उसके पति गांव में रहकर खेती का कार्य करते हैं और खेती से अर्जित आय में उन्हें हिस्सा मिलता है। भगवती शर्मा आ०सा०-02 ने भी प्रतिपरीक्षण के पैरा-10 में यह स्वीकार किया है कि उसकी भाभी किसके कपड़े सिलती थी, वह नाम नहीं बता सकती। अतः ऐसी स्थिति में आवेदिका द्वारा सिलाई व कढ़ाई का कार्य कर के 10,000/-रुपए प्रतिमाह की आय अर्जित करना प्रमाणित नहीं होता है।
15. वह दो दिन भर्ती रही है अतः ऐसी स्थिति में उसे इस मद में 1,000/-रुपए की राशि दिलाई जाती है। मानसिक पीड़ा एवं शारीरिक वेदना के मद में उसे 10,000/-रुपए की राशि दिलाई जाती है। विशेष आहार, अटेण्डर एवं आवागमन एवं परिवहन के मद में 2,000/-रुपए की राशि दिलाई जाती है। इलाज के व्यय के रूप में प्र०पी०-15 की राशि 3,300/-रुपए अंतिम बिल प्र०पी०-10 की राशि है, जो आवेदिका को दिलाई जाती है। प्र०पी०-11, प्र०पी०-12, प्र०पी०-13, प्र०पी०-14, प्र०पी०-18, प्र०पी०-32 एवं प्र०पी०-33 इलाज के प्रिस्क्रिप्शन एवं पैथोलॉजी की रिपोर्ट आदि है,
16. इलाज के व्यय के रूप में प्र०पी०-16 की रसीद 1000/-रुपए की, प्र०पी०-19

का केशमेमो 600/-रुपए का, प्र०पी०-20 का 274/- रुपये का, प्र.पी.-21 का 389/-रुपये का, प्र.पी.-22 का 190/-रुपये का, प्रदर्श पी.-23 का 1944/-रुपये का, प्रदर्श पी.-24 की रसीद 150/-रुपये की, प्रदर्श पी.-25 की रसीद 2000/-रुपये की, प्रदर्श पी.-26 की रसीद 1000/-रुपये की, प्रदर्श पी.-27 की रसीद 300/-रुपये की, प्रदर्श पी.-28 की रसीद 1512 रुपये की, प्रदर्श पी.-29 का केश मेमो 160/-रुपये का, प्रदर्श पी.-30 का 230/-रुपये का, प्रदर्श पी.-31 का 184/-रुपये का है। इस प्रकार इलाज में कुल राशि 13,233/-रुपये होती है, जोकि इलाज के व्यय के रूप में आवेदिका मीनू शर्मा को दिलाई जाती है।

17. इस प्रकार आवेदक अनावेदकगण ने संयुक्त रूप से अथवा प्रथक-प्रथक रूप से निम्न प्रकार से राशि प्राप्त करने के अधिकारी है:-

क्रमांक	मद	राशि
1	मानसिक वेदना एवं शारीरिक पीड़ा के मद में	10,000 /-रुपए
2.	आय की हानि	1,000 /-रुपए
3.	विशेष आहार, अटेण्डर, आवागमन एवं परिवहन के व्यय मद में	2,000 /-रुपए
4.	इलाज का व्यय	13,233 /-रुपए
	कुल राशि	26,233 /-रुपए

वादप्रश्न कमांक-04

18. इस संबंध में बीमा कंपनी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि बीमा संविदा की शर्तों का उल्लंघन हुआ।

वादप्रश्न कमांक-05 सहायता एवं वादव्यय:-

19. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदिका अपनी क्लेम याचिका आंशिक रूप से प्रमाणित करने से सफल रही है। अतः क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आवेदक के पक्ष में तथा अनावेदकगण के विरुद्ध निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-

1. अनावेदकगण आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि 26,233 /- **(छब्बीस हजार दो सौ तैतीस) रुपए** अधिनिर्णय दिनांक 26.08.2017 से दो माह की अवधि में अदा करें।
2. अनावेदकगण, आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि पर आवेदन प्रस्तुति

दिनांक 20.06.16 से संपूर्ण राशि की अदायगी तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारणा ब्याज भी अदा करें।

3. क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का प्रथम दायित्व बीमा कंपनी अनावेदक क्रमांक 03 पर होगा।
4. आवेदक को प्राप्त होने वाली उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि 26,233/- (छब्बीस हजार दो सौ तैंतीस) रूपए एवं उस पर ब्याज की राशि आवेदक को बैंक के माध्यम से नकद प्रदान की जावे।
5. अनावेदक अपना स्वयं का तथा आवेदक का वाद व्यय वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क 1,000/- रूपए निर्धारित किया जाता है।

उक्तानुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

अधिनिर्णय न्यायालय में दिनांकित एवं मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा अधि.
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा.अधि.
गोहद, जिला भिण्ड